न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः—684 / 2020 दायर दिनांक 28.02.2020

जीसीएमएस आई0डी0ः—2020 / 00041

1. डूंगरसिंह उम्र 55 साल
2. वीरसिंह उम्र 40 साल
3. गुड्डी उम्र 35 साल
4. सुनीता उम्र 32 साल

} पिसरान जगन जाति जाट निवासी ढहरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

——सायलान—04

बनाम

1. दीनदयाल उम्र 60 साल पुत्र रघुवीर
2. खूबी उम्र 48 साल पुत्र रघुवीर
3. बनैसिंह उम्र 62 साल पुत्र गिर्राज
4. हरज्ञान उम्र 60 साल पुत्र देवीलाल
5. करणसिंह उम्र 57 साल पुत्र देवीलाल
6. शकुन्तला उम्र 46 साल पुत्र देवीलाल
7. लक्ष्मी उम्र 24 साल पत्नि लवकुमार
8. वर्षा उम्र 23 साल पत्नि योगेन्द्र कुमार
9. दिनेश उम्र 29 साल पुत्र हरज्ञान
10. पिंकेश उम्र 24 साल पुत्र हरज्ञान
11. राजवीर उम्र 26 साल पुत्र करनसिंह
12. श्यामवीर उम्र 25 साल पुत्र करनसिंह
13. लवकुमार उम्र 26 साल पुत्र खूबसिंह
14. योगेन्द्र उम्र 24 साल पुत्र खुबसिंह
15. लोकेश उम्र 23 साल पुत्र खुबसिंह
16. धर्मवीर उम्र 38 साल पुत्र धूपसिंह
17. विधा उम्र 55 साल पत्नि करनसिंह
18. सुपीता उम्र 37 साल पत्नि धर्मवीर
19. कमलेश पत्नि दिनेश उम्र 25 साल

} जाति जाट निवासी ढहरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0।

——गैरसायलान—19

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री नरेन्द्र सिंह जादौन वकील सायलान
2. श्री ह[illegible] चतुर्वेदी वकील गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः— 30-5-21

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि [illegible]दीगण द्वारा जरि[illegible]कील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि

सायलान के स्व० पिता जगन पुत्र श्योनारायण, की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 437 रकवा 0.42 है०, खसरा नम्बर 747 रकवा 0.12 है०, खसरा नम्बर 761 रकवा 0. 03 है०, खसरा नम्बर 764 रकवा 0.05 है०, खसरा नम्बर 767 रकवा 0.19 है०, खसरा नम्बर 813 रकवा 0.07 है०, खसरा नम्बर 814 रकवा 0.05 है०, खसरा नम्बर 815 रकवा 0.04 है०, खसरा नम्बर 816 रकवा 0.02 है०, कुल किता 9 कुल रकवा 0.49 है० स्थित ग्राम ढहरा, तहसील हिण्डौन, मौजूद रही है, उक्त आराजी सायलान के पिता के देहावसान के बाद सायलान को हिस्सा 4/6 व सायलान की बहन मुन्नी व रामकली को हिस्सा 2/6 के तौर पर विरासत में प्राप्त हुई है, वादी गुडडी व सुगीता एवं मुन्नी व रामकली, विरासत में प्राप्त अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर अपने भाई डूंगरसिंह व वीरसिंह एवं भतीजे मुख्तयार के जरिये काबिज व दखिल है।

आराजी खसरा नम्बर 746 रकवा 0.15 है० स्थित ग्राम ढहरा तहसील हिण्डौन गैरसायलान एवं उनके परिवारजन की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी रही है, जो बाह्मी बटवारे में खूबीराम, शकुन्तला, बनैसिंह, धर्मवीर, धूपसिंह, के हिस्से व कब्जे की आराजी रही है।

गैरसायल खूबीराम, शकुन्तला, बनैसिह, धूपसिंह, धर्मवीर, द्वारा बाह्यमी बटवारे में उन्हें प्राप्त आराजी खसरा नम्बर 746 रकवा 0.15है0 को सायलान के स्व० पिता जगन से उनकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वादपत्र मे से खसरा नम्बर 813, 814, 815, व 816 के एवज में आपसी सहमति से अर्सा करीब 20 वर्ष पूर्व बदलकर, अपनी खातेदारी, कब्जे व हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 746 को सायलान के पिता जगन को कब्जे में देकर, सायलान के पिता जगन की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 813 814 815, 816 अपने कब्जे में ले लिया, सायलान के पिता जगन अर्सा करीब 20 वर्ष पूर्व से बदले में प्राप्त गैरसायलान व उनके परिवार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 746 को अपने कब्जे में लेकर अन्य आराजी के साथ साल दर साल, सायलान एवं परिवारजन मुख्तयार के जरिये फसल काश्त कर लाभान्वित होते रहे उनकी मृत्यु के पश्चात, उक्त आराजी पर सायलान एवं उनका भतीजा, मुख्तयार यहैसियत मालिक काबिज व दखिल है, गैरसायल खूबी, शकुन्तला, बनैसिह, धर्मवीर ने सायलान के पिता से बदले में प्राप्त खसरा नम्बर 813, 814, 815, 816 पर कुछ समय फसल काश्त करने के बाद अपनी रिहायश पुख्ता तौर पर तामीर कर ली है. यानि सायलान की खातेदारी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:37 IST
Reason: SelfAttested

कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 813 ता 816 गैरसायलान व उनके परिवारजन के कब्जेकाश्त में एवं रिहायश के काम आ रही है, एवं गैरसायलान व उनके परिवारजन की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 746 पिता सायलान के जीवनकाल के समय से सायलान के कब्जाकाश्त व उपयोग, उपभोग में चली आ रही है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केश बखूबी साबित है।

आराजी खसरा नम्बर 746 जो कि सायलान के पिता जगन को खसरा नम्बर 813 ता 816 के बदले में प्राप्त हुई थी, उक्त आराजी आबादी के नजदीक आ गई है, इस कारण बेशकीमती हो गई है, गैरसायलान व उनके परिवारजन के दिलों दिमाग में उक्त आराजी को लेकर अब बेईमानी पैदा हो गई है. इस कारण गैरसायलान विधि विरूद्ध रूप से सायलान एवं उनके भतीजे मुख्तयार को उनके स्थापित कब्जे से नाजायज तौर पर बेदखल कर, उक्त आराजी पर अवैध कब्जा कर निर्माण करना चाहते है, एवं सायलान को उनकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 437, 747, 761, 764, 767, पर आराजी खसरा नम्बर 746 के साथ हमेंशा की तरह फसल काश्त कर उपयोग, उपभोग करने में व्यवधान पैदा करना चाहते है, इसी बेझा उद्देश्य से गैरसायलान ने आपस में सलाह मशवरा कर सायलान के कब्जेकाश्त में चली आ रही खसरा नम्बर 740 की आराजी पर दिनांक 19.02.2020 को सायं करीब 8 बजे 2 ट्रॉली पत्थर लाकर, उतारने का प्रयास किया.

सायलान को जानकारी होते ही जब सायलान ने गैरसायलान से पत्थर ट्रॉली, खसरा नम्बर 746 की भूमि पर लाकर उतारने का कारण पूछा तो गैरसायलान ने एक स्वर में कहा यह भूमि हमारे व हमारे परिवारजन के नाम है. अब हम इसमें रिहायशी निर्माण करेंगें, भूमि को नाकाबिल काश्त बनायेंगें। सायलान ने जब गैरसायलान से बदले की भूमि खसरा नम्बर 813 ता 816 को खाली कर संभलाने के लिये कहा तो गैरसायलान ने कहा उसे हम खाली नहीं करेंगें, उसमें हमने घर बना लिये, इस पर सायलान ने जब विरोध किया तो गैरसायलान सभी ने सायलान को एलानिया तौर पर धमकी दी कि बे अब सायलान को भूमि खसरा नम्बर 812, 437, 747, 761, 764, 767, पर भविष्य में फसल काश्त नहीं करने देंगें, नाजायज तौर पर बेदखल कर, कब्जा कर निर्माण कर भूमि को नाकाबिल काश्त बनायेंगें, एवं राजस्व रिकॉर्ड में चले आ [illegible] के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 746 को हरसूरत में रहन–बय कर [illegible] करेंगे। गैरसायलान सायलान के साथ आमादा झगडा–फसाद भी हुये, गैरसायलान अपनी उक्त बेझा कार्यवाही में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:37 IST
Reason: SelfAttested

सफल हो गये तो सायलान को उसकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी के प्रति प्राप्त विधिक अधिकारों से महरूम रहना पडेगा, इसलिये सायलान को गैरसायलान के विरूद्ध दावा हाजा पेश करना लाजिमी हुआ है।

गैरसायलान द्वारा सायलान को एवं उनके प्रतिनिधि मुख्तयार को विधि विरूद्ध रूप से खसरा नम्बर 812, 437, 747, 761, 764, 767, पर से नाजायज तौर पर बेदखल कर, कब्जा कर लिया या सायलान को हमेंशा की तहर फसल काश्त कर लाभान्वित नही होने दिया, या खसरा नम्बर 746 के राजस्व रिकॉर्ड अंकन के आधार पर भूमि को रहन व्यय कर अंतरित कर दिया, तो सायलान को ऐसी अपूर्तणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में किया जाना कतई संभव नहीं होगा।

प्रार्थनापत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर, गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे। कि गैरसायलान, सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 437 रकवा 0.42 है०, खसरा नम्बर 747 रकवा 0.12 है०, खसरा नम्बर 761 रकवा 0.03 है०, खसरा नम्बर 764 रकवा 0. 05 है०, खसरा नम्बर 767 रकवा 0.19 है०, स्थित ग्राम ढहरा एवं खसरा नम्बर 813, 814, 815, 816 के बदल में कब्जे में चली आ रही आराजी खसरा नम्बर 746 रकवा 0.15 है० स्थित ग्राम ढहरा, तहसील हिण्डौन, के उपयोग, उपभोग, फसल काश्त कर दरोह करने में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के जरिये कोई व्यवधान या अवरोध पैदा नहीं करे, खसरा नम्बर 813 ता 816 को खाली कर सायलान को कब्जा संभलाने तक आराजी खसरा नम्बर 746 से सायलान को या उनके भतीजे मुख्तयार को नाजायज तौर से बेदखल कर, कब्जा कर निर्माण कर, नाकाबिल काश्त करके, रहन–व्यय कर अंतरित नहीं करें। गैरसायलान उक्त आराजी के सम्बन्ध में ऐसा कोई कृत्य स्वयं या अपने प्रतिनिधि के जरिये नहीं करें, जिससे उक्त आराजी के सम्बन्ध में सायलान को प्राप्त विधिक अधिकारों से महरूम होना पडे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी ने वकालतनामा एवं जबाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:37 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थनापत्र के मद नं.1 में सायलान [illegible] व मिथ्या आधारों पर दावा पेश करना मात्र स्वीकार है, परन्तु सायलान को उक्त दावे में सफलता मिलने की लेशमात्र भी कोई संभावना नहीं है।

2. प्रार्थनापत्र का मद नं. 2 लाइल्मी अस्वीकार है। उक्त आराजी से गैरसायलान का कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है।

3. प्रार्थनापत्र का मद नं 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी खसरा नं 746 रकबा 15 ऐयर वाकेतन ग्राम ढहरा, तहसील हिण्डौन से सायलान का दूर–दूर तक कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है। उक्त आराजी गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है।

4. प्रार्थनापत्र का मद नं. 4 बिल्कुल गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी के खातेदार खूबीराम, शकुन्तला, बनैसिंह, धूपसिंह, सज्ञान धर्मवीर के मध्य कोई बा ह्मी बंटवारा नहीं हुआ, ना ही सायलान या उसके पिता जगन से 20 वर्ष पूर्व कोई बदलपत्र हुआ, ना ही खसरा नं. 746 पर जगन को कभी कोई कब्जा काश्त संभलाया। सारी कहानी मनगढना काल्पनिक व झूठी है जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है। खसरा नं. 746 रकबा 18 ऐयर वाकंतन ग्राम बहरा का सायलान के साथ गैरसायलान ने कभी कोई बदलपत्र नहीं किया। खसरा नं. 745 रकया 22 ऐयर, खसरा नं. 746 रकबा 15 ऐयर, खसरा नं. 811 रकबा 5 ऐयर कुल किता–3 कुल रकबा 42 ऐयर वाकेतन ग्राम छहरा, तहसील हिण्डीन उगन्ती पुत्री रघुवीर, कप्तान पुत्र सरदार, कमलेश पुत्री देवीलाल, कमलेश देधी पत्नि दिनेश, खूबी पुत्र रघुवीर, दीनदयाल पुत्र रघुवीर, धूपसिंह पुत्र गिर्राज, पुष्पाबाई पुत्री रघुवीर, पिस्ता पुत्री रघुवीर, मन्सुख पुत्र सरदार, बनैसिंह पुत्र गिर्राज, वीरवती पुत्री रघुवीर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिससे सायलान का दूर–दूर तक कोई संबध एवं वास्ता नहीं है। शकुन्तला पत्नि खूबीराम जाति जाट निवासी बहरा, तहसील हिण्डौन ने अपना 9/20 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 13.11.19 को दावा हाजा के गैरसायल सं. 19 कमलेश देवी पत्नि दिनेश को विल एवज 1,50,000/– रूपये में विक्रय कर कब्जा संभला दिया, जिस पर वर्तमान में गैरसायल सं. 19 का भौतिक व वास्तविक कब्जा है। खसरा नं. 745, 746. 811 के खातेदारों ने बाहूमी बंटवारे में खसरा नं. 746 रकबा 15 ऐयर गैरसायल सं. 19 को संभलाया है जिस पर गैरसायल सं. 19 ने तहसीलदार हिण्डौन से लिखित स्वीकृति प्राप्त कर खसरा नं. 746 में चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल की। खसरा नं. 746 से सायलान का दूर–दूर तक कोई संबंध एवं वास्ता है। खसरा नं. 813 रकबा 7 ऐयर, खसरा नं. 814 रकबा 5 ऐयर, खसरा नं. 815 रकबा 4 ऐयर, खसरा नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:47:37 IST
Reason: SelfAttested

816 रकबा 2 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकबा 18 ऐयर के बदले में सामलान का कब्जा खसरा नं 1161 रकबा 11 ऐयर एवं 1269 रकबा 11 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 22 ऐवर पर है, इस प्रकार 18 ऍगर के बदले में सायलान को खसरा नं. 1161 व 1269 का 22 ऐयर रकबा दे रखा है। सायलान ने बदयांतिपूर्वक बेईमानी व कपटपूर्ण तरीके से खसरा नं. 746 पर न्यायालय से झूठ बोलकर स्थगन आदेश प्राप्त किया है तथा खसरा नं. 746 को अपनी निजी खातेदारी की भूमि में साथ बताकर न्यायालय को धोखा देकर स्थगन आदेश प्राप्त किया है जिसके कारण गैरसायलान की बाउण्ड्री का कार्य रूका हुआ है। सायलान ने न्यायालय के समक्ष झूठ का पुलन्दा पेश किया है। प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में साबित न होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। खुलासा विशेष विवरण में दर्ज है।

5. प्रार्थनापत्र का मद नं. 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है बिल्कुल गलत है। खसरा नं. 746 से सायलान का दूर–दूर तक कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है। खसरा नं. 813 ता 816 के बदले में खसरा नं. 1161 व 1269 सायलान को प्राप्त हुए हैं. जिनका बदला भी सायलान ने किशोरी पुत्र भम्बल व सेठी पुत्र भम्बल से खसरा नं. 802 रकबा 25 ऐयर वाकेतन ग्राम ढहरा का कर लिया है तथा उक्त खसरा नं. 802 रकबा 25 ऐयर को जरिये अनरजिस्टर्ड विकयपत्र अर्जुन पुत्र हरीसिंह को बेच दिया है जिस पर वर्तमान में अर्जुन पुत्र हरीसिंह का कब्जा है। इस प्रकार बदला कर अपनी जमीन बेचकर पुनः गैरसायलान की जमीन छीनने के आशय से यह झूठा एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर दावा व प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। सायलान ने न्यायालय के समक्ष मौखिक कहानी पेश की है, समर्थन में कोई दस्तावेजी सहय लिखापढी स्टाम्प या बदलपत्र पेश नहीं किया है। बदले में प्राप्त जमीन को दीगर व्यक्ति को बेचकर पुनः गैरसायलान से जमीन छीनना चाहते हैं जिसका सायलान को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। खसरा नम्बर 746 पर कभी भी सायलान का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। दिनांक 19.02.2020 को सायलान व गैरसायलान के मध्य कोई कहासुनी नहीं हुई। कपोल कल्पना के आधार पर दावा व प्रार्थनापत्र हाजा पेश किया गया है। सायलान को मिन गैरसायलान के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ। सायलान खसरा नं. 746 के खातेदार टीनेन्ट नहीं है ना है। खातेदारी की घोषणा का कोई दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:37 IST
Reason: SelfAttested

पेश किया है, इसलिए दावा व प्रार्थनापत्र हाजा खसरा नं. 746 के बाबत मेन्टीनेबिल नहीं है एवं सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र केवल खातेदार टीनेन्ट ही ला सकता है। सायलान झगडालू, गिरोहबंद, खूंखार किस्म के व्यक्ति है जो अपने पास अवैध बिना लाइसेंसी हथियार कट्टा बन्दूक आदि रखते हैं तथा उनकी खुलेआम नुमाइश व प्रयोग करते हैं तथा लोगों को कट्टा बन्दूक दिखाकर डराते हैं तथा उनकी जमीन जायदाद छीनने का प्रयास करते हैं. इसी आशय से प्रार्थनापत्र हाजा पेश किया गया है।

6. प्रार्थनापत्र का मद नं. 6 बिल्कुल गलत है स्वीकार नहीं है। सायलना को किसी प्रकार की कोई अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जबकि गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें बमुकाबले सायलान अत्यधिक अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति दव्य में भी संभव नहीं हो सकेगी।
7. प्रार्थनापत्र का मच नं. 7 गलत है स्वीकार नहीं है। सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित न होकर मिन गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।
8. प्रार्थनापत्र का मद नं 8 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है।

आराजी हाल खसरा नं. 437 रकबा 42 ऐयर वाकेतन ग्राम बहरा को सायलान ने लपावली के गुर्जरों को जरिये एग्रीमेन्ट विकय कर रखी है, इसलिए खसरा नं. 437 पर सायलान का कोई कब्जा नहीं है। खसरा नं. 747, 761, 764, 767 पर सायलान का मौके पर कब्जा है जिससे गैरसायलान का कोई लेना–देना एवं संबंध व वास्ता नहीं है। खसरा नं. 813, 814, 815, 816 वाकेतन ग्राम ढहरा के बदले में सायलान को आराजी हाल खसरा नं. 1161 रकबा 11 ऐयर, खसरा नं. 1269 रकबा 11 ऐयर दी गई थी जिसका बदला सायलान ने किशोरी पुत्र भम्बल व सेठी पुत्र भम्बल से खसरा नं. 802 रकबा 25 ऐयर वाकेतन ग्राम ढहरा का कर लिया है तथा उक्त खसरा नं. 802 रकबा 25 ऐयर को जरिये अनरजिस्टर्ड विकयपत्र अर्जुन पुत्र हरीसिंह को बेच दिया है जिस पर वर्तमान में अर्जुन पुत्र हरीसिंह का कब्जा है। इस प्रकार जमीन बेचकर पुनः सायलान बेईमानी व कपटपूर्ण तरीके से गैरसायलान को तंग व परेशान कर गैरसायलान की जमीन छीनना चाहत है। सायलान न्यायालय के समता स्वच्छ हृदय से नहीं आये है. इसलिए सायलान का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:37 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने आराजी हाल खसरा नं. 746 रकबा 15 ऐयर वाकेतन ग्राम छहरा पर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जबकि खसरा नं. 746 से सायलान का दूर–दूर तक कोई लेना देना नहीं. है। सायलान ने खसरा नं. 746 की खातेदारी की घोषणा का भी दावा पेश नहीं किया है। अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष केवल खातेदार ही मांग सकता है, इसलिए सायलान का प्रार्थनापत्र खसरा नं. 746 के बाबत मेन्टीनेबिल नहीं है एवं सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। सायलान ने खसरा नं. 746 के समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये बिना सायलान का दावा चलने योग्य नहीं है। रिकार्डेड खातेदार दावे में आवश्यक पक्षकार होता है, इसलिए नोन जाइन्डर ऑफ नैसेसरी पार्टी के नुक्स के कारण सायलान का दावा व प्रार्थनापत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नं. 746 पर गैरसायल सं. 19 कमलेश देवी पत्नि दिनेश, तहसीलदार हिण्डौन की अनुमति से पुख्ता बाउण्ड्री का निर्माण कर रही है। गैरसायल सं. 19 ने जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र उक्त आराजी प्राप्त की है। उक्त आराजी सायलान की रिहायश के नजदीक होने के कारण ये लोग लट्ठ व ताकत के बल पर गैरसायल सं. 19 से उक्त आराजी खसरा नं. 746 को छीनना चाहते हैं। गैरसायलान उक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार हैं, कानूनन रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रार्थनापत्र सायलान रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है एवं सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। सायलान माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हृदय व क्लीन हैण्ड्स से नहीं आये है इसलिए सायलान माननीय न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा जैसी पवित्र प्रतिकार विरुद्ध गैरसायलान पाने के कानूनन अधिकारी नहीं है। जवाब प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 99, जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 264, खसरा गिरदावरी संवत 2070–73, खसरा गिरदावरी संवत 2070–73, नकल जमाबंदी सवंत 2070–73 खाता संख्या 355 वाके ग्राम ढहरा तहसील हिण्डौन, विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2019 पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:37 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायलान वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 99, जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 264, खसरा गिरदावरी संवत 2070–73, खसरा गिरदावरी संवत 2070–73, नकल जमाबंदी सवंत 2070–73 खाता संख्या 355 वाके ग्राम ढहरा तहसील हिण्डौन में खसरा न0 437, 747, 761, 764, 767, 813, 814, 815, 816 में सायलान एवं खसरा न0 746 का गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, अन्य विवादित आराजी खसरा न0 से गेरसायलान का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिये सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 28.02.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा न0 437, 747, 761, 764, 767, 813, 814, 815, 816, 746 वाके ग्राम ढहरा तहसील हिण्डौन में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करने तथा निर्माण नहीं करने की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 30/5/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:37 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन